न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/134
मुकदमा नम्बर 30/2025 दर्ज दिनांक– 07.03.2025

बाबूलाल सैन पुत्र प्रभुदयाल सैनी जाति नाई निवासी वार्ड नं. 11 गुढा, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 02.07.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम नया परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. 130 पुराना 281 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1282 रकबा 1.05 है0, खसरा नं. 1285 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिशंकर पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर बाबुलाल सैन पुत्र प्रभुदयाल सैन दर्ज किया जावें तथा ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंकछिलरी में स्थित भूमि खाता सं. नया 138 पुराना 129 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 18 रकबा 1.30 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिशंकर पुत्र प्रभू के स्थान पर बाबुलाल सैन पुत्र प्रभुदयाल सैन दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/7096 दिनांक 15.04.2025 पेश हुई। जिसके अनुसार मजमे आम मे पुछताछ पर प्रार्थी का नाम हरशंकर पुत्र प्रभुसिह के स्थान पर बाबुलाल सैन पुत्र प्रभुदयाल सैन सही किये जाने रिपोर्ट पेश हुई है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नया परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. 130 पुराना 281 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1282 रकबा 1.05 है0, खसरा नं. 1285 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिशंकर पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर बाबुलाल सैन पुत्र प्रभुदयाल सैन दर्ज किया जावें तथा ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टोंकछिलरी में स्थित भूमि खाता सं. नया 138 पुराना 129 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 18 रकबा 1.30 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिशंकर पुत्र प्रभू के स्थान पर बाबुलाल सैन पुत्र प्रभुदयाल सैन दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8459 दिनांक 17.06.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू